Himachal Pradesh
Board of School Education
Dharamshala, Himachal Pradesh

क्रमांक: हि०शि०बो०(31) हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय प्रशासन/17112–213 दिनांक:-28 -06-2024

"अधिसूचना व दिशा-निर्देश"

अधिसूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) के तहत कक्षा दसवीं और जमा दो के अन्तर्गत विशेष अंक सुधार परीक्षा (Special Marks Improvement Exam) का पुनः आयोजन सितम्बर 2024 से करवाया जा रहा है।

इस परीक्षा के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को दिनांक **01 जुलाई 2024** से **31 जुलाई 2024** तक बिना विलंब शुल्क सहित केवल हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) के अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

समस्त अभ्यर्थियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वह इस परीक्षा के लिए आवेदन करने से पूर्व इस परीक्षा से सम्बन्धित नियमों/मापदण्डों को आवश्यक रूप से पढ़ लें।

इसके अतिरिक्त समस्त हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों/सहायक समन्वयकों को निर्देश दिए जाते हैं कि इस परीक्षा हेतु आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस परीक्षा के संचालन से सम्बन्धित निम्नलिखित नियमों/मापदण्डों का आवश्यक रूप से अनुसरण करें:-

1. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के तहत विशेष अंक सुधार की परीक्षा का आयोजन केवल सितम्बर माह में ही करवाया जायेगा।
2. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के तहत विशेष अंक सुधार परीक्षा हेतु पंजीकृत परीक्षार्थी केवल तीन बार ही परीक्षा दे सकता है जिसके लिए परीक्षार्थी को हर बार वांछित परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन करना अनिवार्य होगा।
3. यदि परीक्षार्थी को तीनों अवसरों का लाभ लेना हो तो उसे लगातार तीनों अवसरों में परीक्षा देना अनिवार्य होगा। किसी एक अवसर में परीक्षा नहीं देने के फलस्वरूप वह अवसर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
4. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के तहत विशेष अंक सुधार की परीक्षा का आयोजन केवल ऐसे परीक्षार्थियों के लिए किया जाएगा जिन्होंने अपनी दसवीं/जमा दो कक्षा की परीक्षा हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय और हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण की हो।
5. ऐसे जमा दो कक्षा के परीक्षार्थी जिन्होंने अपनी परीक्षा सत्र 2002 से पूर्व या केवल 4 विषयों सहित उत्तीर्ण की है उन्हें हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के तहत विशेष अंक सुधार की परीक्षा में पुराने Scheme of Studies अनुसार केवल 4 विषयों में ही वर्तमान समय में प्रचलित पाठ्यक्रम अनुसार ही परीक्षा देनी होगी।
6. ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने पूर्व में हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के माध्यम से विशेष अंक सुधार परीक्षा दी है या नियमित परीक्षार्थी के रूप में अंक सुधार परीक्षा के तहत परीक्षा दी है वह पुनः इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे।
7. इस परीक्षा में केवल ऐसे विषयों में ही अंक सुधार किया जा सकता है जिसमें कि परीक्षार्थी पहले ही उत्तीर्ण घोषित हुआ हो।
8. इस परीक्षा में विषय और संकाय परिवर्तन का लाभ नहीं दिया जाएगा।
9. प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में परीक्षार्थी को लिखित और प्रायोगिक दोनों मे परीक्षा देना अनिवार्य होगा।
10. इस परीक्षा में NSQF के तहत प्रचलित विषयों में परीक्षार्थियों को आवेदन करने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
11. इस परीक्षा का आयोजन वर्तमान समय में प्रचलित पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगा।
12. इस परीक्षा में परीक्षार्थियों को अपना मूल प्रमाण पत्र सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र में आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा।
13. विशेष अंक सुधार परीक्षा में TOC का लाभ मूल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ही दिया जाएगा।

यदि परीक्षार्थी इस परीक्षा में 1 से अधिक (2 या 3) बार परीक्षा देता है तो TOC (Transfer of Credit) का लाभ मूल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर देने उपरांत परीक्षार्थी द्वारा विशेष अंक सुधार परीक्षा में प्राप्त सबसे अधिक अंक वाले परीक्षा परिणाम का ही लाभ दिया जाएगा।

15. पात्र परीक्षार्थियों को इस परीक्षा में आवेदन करते समय अपने मूल प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड़ करना अनिवार्य होगा।
16. यदि परीक्षार्थी कोई भी तथ्य बोर्ड कार्यालय से छुपाता है तो परीक्षा परिणाम में देरी या परीक्षा परिणाम रद्द होने के लिए वह स्वंय जिम्मेदार होगा।
17. इस परीक्षा में परीक्षार्थी के अंको में वृद्वि होने पर परीक्षा परिणाम PRC 'Previous Result Cancelled' (नये अंकों सहित) और अंको में वृद्वि नहीं होने पर PRS' Previous Result Stand' घोषित किया जाएगा।
18. इस परीक्षा में केवल Re - checking की सुविधा होगी Re - evaluation की सुविधा इस परीक्षा में नहीं होगी।
19. इस परीक्षा के लिए दसवीं और जमा दो कक्षा के छात्रों के लिए अलग अनुक्रमांक जारी किए जाएंगे और तीनों अवसर के लिए वही अनुक्रमांक मान्य होगा।
20. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के तहत विशेष अंक सुधार परीक्षा के लिए समस्त आवेदकों को परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करवाना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की छूट का लाभ इस परीक्षा में नहीं दिया जाएगा। हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के तहत विशेष अंक सुधार परीक्षा के परीक्षा शुल्क का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है:-

Attempts	**Fee (₹) For Theory**	**Fee (₹) Practical**	**Remark**
1st	₹ 1500 Per subject	₹ 250 per Subject	Roll number will remain same for all the three attempts.
2nd	₹ 2000 Per subject	₹ 350 per Subject	
3rd	₹ 2500 Per subject	₹ 450 Per subject	

21. विशेष अंक सुधार परीक्षा के तहत आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों की पात्रता की जांच करने का पूर्ण उतरदायित्व सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र के समन्वयक/प्रभारी का होगा।
22. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के अन्तर्गत विशेष अंक सुधार परीक्षा के तहत परीक्षा देने के उपरांत पुराने अंको में बढोतरी होती है तो सम्बन्धित परीक्षार्थी को हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय नया मूल प्रमाण पत्र नए परीक्षा सत्र और अनुक्रमांक(पुराने और नए) सहित जारी करेगा जोकि पूर्ण रूप से वैध और मान्य होगा।

डा०(मेज़र)विशाल शर्मा, हि०प्र०से०
सचिव

पृ० सं०:कमांक:हि०शि०बो०(31)/हि०प्र०रा०मु०वि०प्र०/सि०-2024/ 17112-213 दिनांक:28 .06.2024
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. कनिष्ठ आशुलिपिका, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
2. आशुटंकक, सचिव, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
3. अतिरिक्त सचिव/समस्त उप–सचिव/सहायक सचिव, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
4. समस्त अनुभाग अधिकारी हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
5. हि0 प्र0 राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केन्द्रों में तैनात समस्त समन्वयकों को उपरोक्त वर्णित अनुसार आगामी कार्यवाही करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी आई० टी० सैल को इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना को बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करवाने के साथ Online Application को उपरोक्त तिथियों अनुसार सक्रिय करवाऐं।
7. सहायक सचिव, दसवीं और जमा दो नियमित परीक्षा शखाओं को इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना अनुसार कार्य करने बारे समस्त नियमित परीक्षा शाखाओं को अवगत करवाएं।
8. समस्त जिला प्रबंधक/प्रभारी पुस्तक वितरण केन्द्र, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
9. लोक सम्पर्क कार्यालय, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।

डा०(मेज़र)विशाल शर्मा, हि०प्र०से०
सचिव